

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक: 20.10.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा विभाग-2023 के पदों हेतु विज्ञापनानुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दिनांक 16.10.2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के तहत दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 25.10.2023 तक ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित (Withdraw) करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अतः ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आगाह किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि में अपना ऑनलाईन आवेदन आवश्यक रूप से प्रत्याहरित (Withdraw) कर लें। निर्धारित दिनांक 25.10.2023 के उपरांत विज्ञापन के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आयोग को असत्य रूप से ऑनलाईन आवेदन करके इस परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(रामनिवास मेहता)
सचिव